

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 244/380/अका.प्र./आउशि/08  
प्रति,


भोपाल, दिनांक 28/8/08

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य,  
अग्रणी महाविद्यालय,  
म0प्र0।

विषयः--छात्र द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत समय-समय पर जारी निर्देश एवं दि. 23.8.08 की वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्राचार्यों को निर्देशित किया गया था कि यदि किसी छात्र ने निर्धारित समयावधि में प्रवेश पत्र जमा किया है एवं प्रवेश की पात्रता रखते हुए नियमानुसार उसका प्रवेश मान्य है तथा किसी कारण से प्रवेश शुल्क जमा न कर पाया हो तो दि. 31 अगस्त, 2008 तक शुल्क जमा कराये। साथ ही इस छात्र से वचन-पत्र लिया जाए कि उसके द्वारा 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण की जायेगी; अन्यथा नियमित प्रवेश का पात्र नहीं रहेगा।



(आशीष उपाध्याय)  
आयुक्त,  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश